राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना

वाद संख्या–14 / 2025

अंकज कुमार बनाम् हरेन्द्र श्रीवास्तव।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–07.08.2025 तथा दिनांक–01.09.2025 को की गई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार उपस्थित रहे तथा प्रतिवादी श्री हरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा स्वयं अपना पक्ष रखा गया। जिला निर्वाचन **पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान की ओर से श्रीमती सीमा कुमारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, सिवान को सत्यापन प्रतिवेदन एवं जिला का पक्ष रखने हेतु प्राधिकृत किया गया।**

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा महाराजगंज नगर पंचायत के आम निर्वाचन में वार्ड संख्या–02 के वार्ड सदस्य के पद हेतु किये गये, नाामांकन–पत्र में अपने आपराधिक मुकदमों का सही विवरण अंकित नहीं किया गया है। इसके साथ–साथ उनके द्वारा Bihar Urban Local Bod(Community Participation) Rules-2013 तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–16(A)(6) में वर्णित वार्ड समिति का गठन एव इसके बैठके नहीं की गई है। अतः इन्हें बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(l) के तहत निरर्हित करने का अनुरोध किया गया। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा थावे थाना काण्ड संख्या–54 / 2017, महाराजगंज थाना काण्ड संख्या–176 / 2013, महाराजगंज थाना काण्ड संख्या–173 / 2012 तथा महाराजगंज थाना काण्ड संख्या–86 / 2013 का अवलोकन कराया गया। आयोग द्वारा उन्हें उक्त सभी थाना काण्डों के अद्यतन स्थिति से संबंधित वादों के Entire Order Sheet की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा उसे कभी प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रतिवादी श्री हरेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा शपथ–पत्र के साथ अपना जवाब दायर किया गया तथा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा महाराजगंज थाना काण्ड संख्या–173 / 2012 तथा थावे थाना काण्ड संख्या–54 / 2017 को अपने नामांकन–पत्र के प्रपत्र–ख में अंकित किया गया है। शेष दो वादों में पुलिस द्वारा उन्हें दोषी नहीं पाये जाने के कारण Final Form/Closure Report Submit किया गया है, जिसके कारण उन्हें उन F.I.R. की सूचना प्रदान करनी आवश्यक नहीं है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि यदि वह आपराधिक मुकदमों को छुपाने की मंशा रखते, तो किसी भी F.I.R. का उल्लेख नामांकन–पत्र में नहीं करते। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा जान–बुझकर आयोग को गुमराह करने के लिए थाना काण्ड संख्या–86 / 2013 एवं थाना काण्ड संख्या–176 / 2013 की सूचना दी गई है, जबकि इन्हें वाद दायर करते समय Cognizance Order की प्रति लगाकर वाद दायर करनी चाहिए थी, क्योंकि Burden of Proof वादी पर है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अनौपचारिक रूप से वार्ड समिति का गठन किया गया है तथा इसकी बैठकें भी उनके द्वारा की जा रही है।

आयोग द्वारा पाया गया कि वादी द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में कोई Cognizance Order नहीं दिया गया है। प्रतिवादी के नामांकन–पत्र के अवलोकन से यह प्रमाणित है कि उनके द्वारा अपने जवाब में अंकित दोनों थाना काण्डों को नामांकन–पत्र में अंकित किया गया है, परन्तु शेष दो थाना काण्डों से संबंधित वादों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें उनके विरूद्ध संज्ञान नहीं लिया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में वादी का दावा तथ्यतः सही नहीं पाया गया। अतएव वादी के दावों को तथ्यतः गलत पाये जाने के कारण उनके अनुरोधों को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
15.01.2026
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–14/2025 20 \ पटना, दिनांक 15.1.26

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सिवान**/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, **सिवान** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, **सिवान** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

15/01/26
विशेष कार्य पदाधिकारी